

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 333]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई 2020—श्रावण 6, शक 1942

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 जुलाई 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-65/2020/वा.क.(पं.)/पांच (93).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन/अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन तथा रियायती/गैर-रियायती स्थायी पट्टों को भूमिस्वामी अधिकार में परिवर्तन संबंधी, दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की अवधि में निष्पादित लिखतों पर, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 23 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में कमी करते हुए, अधिकतम रुपये 2000/- स्टाम्प शुल्क प्रभार्य करती है.

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., सचिव.

अटल नगर, दिनांक 27 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 10-65/2020/वा.क.(पं.)/पांच (93).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-65/2020/वा.क.(पं.)/पांच (93), दिनांक 27 जुलाई, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., सचिव.

Atal Nagar, the 27th July 2020

NOTIFICATION

No. F 10-65/2020/CT(R)/V(93).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government, hereby, charges stamp duty maximum rupees 2000/-, by reducing stamp duty chargeable under article 23 of Schedule 1-A of the said Act, on instruments executed till the period of 31st march 2021, relating to conversion into landlord rights for allotment of government land/settlement of encroached land and concessional/non-concessional permanent leases, in the urban areas.

2. This notification shall come into force with the effect from the date of publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Secretary.

अटल नगर, दिनांक 27 जुलाई 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-65/2020/वा.क.(पं.)/पांच (94).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 79 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना क्र. 818-635-पांच-पृ.आ., दिनांक 24 फरवरी, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी के सरल क्रमांक 60 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

(61) नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन/अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन तथा रियायती/गैर-रियायती स्थायी पट्टों को भूमिस्वामी अधिकार में परिवर्तन संबंधी, दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की अवधि में निष्पादित लिखतों पर, प्रभार्य पंजीयन शुल्क में कमी करते हुए, अधिकतम रुपये 2000/- पंजीयन शुल्क प्रभार्य करती है.

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., सचिव.

अटल नगर, दिनांक 27 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 10-65/2020/वा.क.(पं.)/पांच (94).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-65/2020/वा.क.(पं.)/पांच (94), दिनांक 27 जुलाई, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., सचिव.

Atal Nagar, the 27th July 2020

NOTIFICATION

No. F 10-65/2020/CT(R)/V(94).—In exercise of the powers conferred by section 78 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Notification No. 816-635-VSR, dated 24th February, 1975 published under section 79 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said notification,—

After serial number 60 of the table of registration fees, the following shall be added, namely :—

- “61. charges registration fees maximum rupees 2000/-, by reducing registration fees chargeable, on instruments executed till the period of 31st march, 2021 relating to conversion into landlord rights for allotment of government land/settlement of encroached land and concessional/non-concessional permanent leases, in the urban areas.
2. This notification shall come into force with the effect from the date of publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Secretary.